

भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 813

दिनांक 29 नवम्बर, 2024 को उत्तर के लिए

पोषण मिशन

813. श्री नारायण तातू राणे:

श्री राम शिरोमणि वर्मा:

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि:

- (क) क्या सरकार ने पोषण मिशन के कार्य/प्रभाव का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विस्तृत मूल्यांकन किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्तमान स्थिति क्या है;
- (ख) महाराष्ट्र सहित देश के विभिन्न राज्यों में पोषण मिशन के अंतर्गत निर्धारित पांच उद्देश्यों के संबंध में उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है।
- (ग) महाराष्ट्र में पोषण मिशन की अवधि के दौरान शिशुओं, बच्चों, किशोरों और महिलाओं में बौनापन, कुपोषण, एनीमिया और जन्म के समय कम वजन के बच्चों का जिलावार ब्यौरा क्या है;
- (घ) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त प्रयोजन के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है।
- (ङ) महाराष्ट्र सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार उक्त योजना के लाभार्थियों की संख्या कितनी है; और
- (च) उत्तर प्रदेश में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए क्या उपाय किए गए/प्रस्तावित हैं?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री

(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ग): वर्ष 2021 में विश्व बैंक ने उच्च रक्ताल्पता और ठिगनेपन की दर वाले 11 प्राथमिकता वाले राज्यों (आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश) में एक सर्वेक्षण किया है जहाँ एनीमिया और बौनेपन की दर सबसे अधिक है। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य पोषण सेवा प्रदायगी के कार्यक्रम का आकलन करना था कि क्या लाभार्थियों की पोषण संबंधी जानकारी में सुधार हुआ है और क्या उन्होंने अधिक उपयुक्त पोषण एवं भोजन पद्धतियों को अपनाया है।

निष्कर्षों से पता चला है कि पोषण अभियान के माध्यम से प्रदान की गई सेवाएं - प्रासंगिक संदेशों की प्राप्ति, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा घर-घर जाकर काम करना और समुदाय आधारित कार्यक्रमों में भाग लेना - बेहतर पोषण व्यवहार से जुड़ी हुई थीं। सर्वेक्षण में यह भी पाया गया कि कार्यक्रम के पोषण संदेश 80% से अधिक महिलाओं तक पहुंचे और 81% महिलाओं ने पहले छह महीनों तक केवल स्तनपान कराया।

पोषण अभियान की शुरुआत मार्च, 2018 में की गई थी। 15वें वित्त आयोग के तहत बेहतर पोषण सामग्री और वितरण के माध्यम से कुपोषण की चुनौती का समाधान करने के लिए आंगनवाड़ी सेवाओं, पोषण अभियान और किशोरियों (आकांक्षी जिलों एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र में 14-18 वर्ष) के लिए योजना को मिशन सक्षम आंगनवाड़ी तथा पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0) के अंतर्गत शामिल किया गया है। मिशन पोषण 2.0 के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- देश के मानव पूंजी विकास में योगदान करना;
- कुपोषण की चुनौतियों का समाधान करना;
- स्थायी स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए पोषण जागरूकता और अच्छी खान-पान की आदतों को बढ़ावा देना;
- प्रमुख कार्यनीतियों के माध्यम से पोषण संबंधी कमियों को दूर करना।

आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषण वितरण सहायता प्रणालियों को सुदृढ़ बनाने और उसमें पारदर्शिता लाने के लिए आईटी प्रणालियों का लाभ उठाया गया है। 1 मार्च, 2021 को एक महत्वपूर्ण शासन उपकरण के रूप में 'पोषण ट्रैकर' एप्लिकेशन शुरू किया गया था। पोषण ट्रैकर परिभाषित संकेतकों पर सभी आंगनवाड़ी केंद्रों, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और लाभार्थियों की निगरानी और ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करता है। पोषण ट्रैकर के तहत प्रौद्योगिकी का लाभ बच्चों में ठिगनेपन, कमजोरी, अल्प वजन की व्यापकता की सक्रिय पहचान के लिए उठाया जा रहा है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 1992-93 से संचालित राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के विभिन्न चक्रों से पूरे भारत में बच्चों में कुपोषण के संकेतकों में सुधार देखने को मिला है। एनएफएचएस-1 से एनएफएचएस-5 तक बच्चों के लिए इन संकेतकों का विवरण नीचे दिया गया है:

एनएफएचएस सर्वेक्षण	अल्पवजनी बच्चे %	कमजोर बच्चे%	ठिगने बच्चे %
एनएफएचएस -1 (1992-93)*	53.4	17.5	52

एनएफएचएस -2 (1998-99)**	47	15.5	45.5
एनएफएचएस -3 (2005-6)***	42.5	19.8	48.0
एनएफएचएस -4 (2015-16)***	35.8	21.0	38.4
एनएफएचएस -5 (2019-21)***	32.1	19.3	35.5

* 4 वर्ष से कम

** 3 वर्ष से कम

*** 5 वर्ष से कम

उपरोक्त तालिका समय के साथ 0-3 वर्ष, 0-4 वर्ष और 0-5 वर्ष आयु के सभी बच्चों में कुपोषण संकेतकों की तस्वीर प्रस्तुत करती है।

वर्ष 2021 के लिए भारत में 5 वर्ष तक के सभी बच्चों की अनुमानित जनसंख्या 13.75 करोड़ है (स्रोत: भारत और राज्यों के लिए जनसंख्या अनुमान 2011-2036, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय)। तथापि अक्टूबर 2024 के आंकड़ों के अनुसार, 5 वर्ष तक के केवल 7.54 करोड़ बच्चे ही आंगनवाड़ियों में नामांकित हैं और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के पोषण ट्रैकर पर पंजीकृत हैं। इनमें से 7.31 करोड़ बच्चों की वृद्धि मापदंडों पर माप की गई। इनमें से 38.9% बच्चे ठिगने पाए गए, 17% बच्चे अल्प वजन वाले और 5.2% कमजोर पाए गए।

इसके अलावा, वर्ष 2021 के लिए भारत में 6 वर्ष तक के सभी बच्चों की अनुमानित जनसंख्या 16.1 करोड़ है। पोषण ट्रैकर के अक्टूबर 2024 के आंकड़ों के अनुसार, 8.82 करोड़ बच्चे (0-6 वर्ष) आंगनवाड़ियों में नामांकित हैं जिनमें से 8.55 करोड़ बच्चों की विकास मापदंडों पर माप की गई है। इनमें से 37% बच्चे (0-6 वर्ष) ठिगने और 17% बच्चे (0-6 वर्ष) अल्प वजन के पाए गए हैं।

मिशन पोषण 2.0 के तहत महाराष्ट्र सहित देश में कुपोषित बच्चों का राज्य-वार विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है। महाराष्ट्र में कुपोषित बच्चों का जिला-वार विवरण **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

बच्चों, किशोरियों और महिलाओं (15-49 वर्ष) में रक्ताल्पता (एनीमिया) और शिशुओं के अल्प वजन का विवरण राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के तहत जारी किया जाता है जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 (2019-21) के अनुसार, महाराष्ट्र राज्य में 6-59 महीने के बच्चों में रक्ताल्पता (एनीमिया) की व्याप्तता 68.9 प्रतिशत है, 15-19 वर्ष की आयु की सभी महिलाओं में 57.2 प्रतिशत है और 15-49 वर्ष की आयु की सभी महिलाओं में 54.2 प्रतिशत है। महाराष्ट्र में रक्ताल्पता (एनीमिया) का जिला-वार प्रसार **अनुलग्नक- III** में दिया गया है जबकि, महाराष्ट्र में अल्प वजन (2.5 किलोग्राम से कम प्रतिशत) का प्रसार 20.0% है।

(घ): मिशन पोषण 2.0 के तहत पिछले तीन वर्षों (वित्त वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24) के दौरान जारी और उपयोग की गई निधि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुलग्नक-IV** में दिया गया है।

(ङ.): मिशन पोषण 2.0 के तहत महाराष्ट्र राज्य सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार लाभार्थियों की संख्या **अनुलग्नक-V** में दी गई है।

(च): मिशन पोषण 2.0 एक स्व-चयनित (प्रवेश बाधा रहित) योजना है जो आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) में नामांकन करने वाले सभी पात्र लाभार्थियों के लिए उपलब्ध है और इसे उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसकी कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की है।

मिशन पोषण 2.0 के तहत सामुदायिक जुटाव, आउटरीच, व्यवहार परिवर्तन और पक्ष समर्थन जैसे कार्यकलापों के माध्यम से कुपोषण में कमी और बेहतर स्वास्थ्य, कल्याण और प्रतिरक्षा के लिए एक नई कार्यनीति बनाई गई है। इस योजना में कुपोषण, ठिगनापन, एनीमिया और अल्प वजन की व्यापकता को कम करने के लिए मातृ पोषण, शिशु और छोटे बच्चों के आहार मानदंडों, गंभीर तीव्र कुपोषण (एसएएम)/मध्यम तीव्र कुपोषण (एमएएम) के उपचार और आयुष पद्धतियों के माध्यम से स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

इस योजना के तहत बच्चों (6 महीने से 6 साल), गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों को जीवन चक्र दृष्टिकोण अपनाकर कुपोषण के पीढ़ियों से आ रहे चक्र को खत्म करने के लिए पूरक पोषण प्रदान किया जाता है। पूरक पोषण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की अनुसूची-II में निहित पोषण मानदंडों के अनुसार प्रदान किया जाता है। इन मानदंडों को पिछले साल संशोधित और उन्नत किया गया है। पुराने मानदंड काफी हद तक कैलोरी-विशिष्ट थे; तथापि, संशोधित मानदंड आहार विविधता के सिद्धांतों के आधार पर पूरक पोषण की मात्रा

और गुणवत्ता दोनों के संदर्भ में अधिक व्यापक और संतुलित हैं जिसमें गुणवत्तापूर्ण प्रोटीन, स्वस्थ वसा और सूक्ष्म पोषक तत्व का प्रावधान है।

सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता को पूरा करने तथा महिलाओं और बच्चों में रक्ताल्पता (एनीमिया) को नियंत्रित करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों को फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति की जा रही है। आंगनवाड़ी केंद्रों पर सप्ताह में कम से कम एक बार पका हुआ गर्म भोजन तथा टेक होम राशन तैयार करने के लिए मिलेट (श्री अन्न) के उपयोग पर अधिक जोर दिया जा रहा है।

महिला एवं बाल विकास तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बच्चों में गंभीर कुपोषण की रोकथाम तथा उपचार करने तथा इससे संबंधित रुग्णता और मृत्यु दर को कम करने के लिए सामुदायिक कुपोषण प्रबंधन (सीएमएएम) के लिए संयुक्त रूप से प्रोटोकॉल जारी किया है।

मिशन पोषण 2.0 के तहत किए जाने वाले प्रमुख कार्यकलापों में सामुदायिक जुटाव और जागरूकता पक्ष समर्थन शामिल है जो लोगों को पोषण संबंधी पहलुओं पर शिक्षित करने के लिए जन आंदोलन की ओर ले जाती है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र क्रमशः सितंबर और मार्च-अप्रैल के महीनों में मनाए जाने वाले पोषण माह और पोषण पखवाड़ा के दौरान सामुदायिक जुटाव कार्यक्रमों के तहत नियमित रूप से जागरूकता कार्यकलापों का आयोजन और रिपोर्टिंग कर रहे हैं। समुदाय आधारित कार्यक्रम (सीबीई) ने पोषण संबंधी पद्धतियों को बदलने में एक महत्वपूर्ण कार्यनीति के रूप में काम किया है और सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को हर महीने सामुदायिक आधारित दो कार्यक्रम आयोजित करने की आवश्यकता है।

कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा उठाए गए उपाय **अनुलग्नक-VI** में दिए गए हैं।

अनुलग्नक-1

‘पोषण मिशन’ से संबंधित श्री नारायण तातू राणे और श्री राम शिरोमणि वर्मा द्वारा दिनांक 29.11.2024 को लोक सभा में पूछे गए प्रश्न संख्या 813 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

महाराष्ट्र सहित देश में कुपोषित बच्चों (0-5 वर्ष) का राज्य-वार ब्यौरा इस प्रकार है:*

राज्य	ठिगने बच्चे %	कमजोर बच्चे %	अल्पवजनी बच्चे%
आंध्र प्रदेश	22.6	5.3	10.8
अरुणाचल प्रदेश	32.8	4.2	9.6
असम	42.4	3.8	16.4
बिहार	43.8	9.2	22.9
छत्तीसगढ़	21.5	7	13.1
गोवा	4.1	0.6	1.7
गुजरात	40.8	7.8	21
हरियाणा	28.2	4.1	8.7
हिमाचल प्रदेश	18.4	1.7	6.3
झारखंड	43.8	6.2	19.3
कर्नाटक	39.7	3.2	17.1
केरल	34.4	2.3	9.5
मध्य प्रदेश	46.5	7	26.5
महाराष्ट्र	47.7	4.1	16.5
मणिपुर	7.7	0.3	2.6
मेघालय	18.2	0.4	4.5
मिजोरम	26.7	2.3	5.9
नागालैंड	28	5.3	6.6
ओडिशा	29.1	2.9	12.8
पंजाब	18.4	3	5.9
राजस्थान	36.6	5.5	17.7

राज्य	ठिगने बच्चे %	कमजोर बच्चे %	अल्पवजनी बच्चे%
सिक्किम	9.2	1.5	1.7
तमिलनाडु	13.4	3.6	7.1
तेलंगाना	32.6	5.6	16.2
त्रिपुरा	40.5	6.3	16.6
उत्तर प्रदेश	48	3.9	19.4
उत्तराखंड	21	1.5	5.4
पश्चिम बंगाल	38	7.5	13
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	8.7	2.3	3.9
दादरा और नगर हवेली - दमन और दीव	35.9	3.4	16.1
दिल्ली	41.9	3	20.6
जम्मू एवं कश्मीर	12.1	0.7	3
लद्दाख	11	0.2	2
लक्षद्वीप	46.5	11.9	25.1
पुदुचेरी	40.2	6.8	13
यूटी-चंडीगढ़	26.3	1.8	11.9

* आंकड़ा पोषण ट्रैकर से अक्टूबर 2024 माह के लिए है

अनुलग्नक-II

‘पोषण मिशन’ से संबंधित श्री नारायण तातू राणे और श्री राम शिरोमणि वर्मा द्वारा दिनांक 29.11.2024 को लोक सभा में पूछे गए प्रश्न संख्या 813 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

महाराष्ट्र में कुपोषित बच्चों (0-5 वर्ष) का जिला-वार ब्यौरा इस प्रकार है*:

क्र.सं.	जिला	ठिगने बच्चे %	कमजोर बच्चे %	अल्प वजनी बच्चे %
1	अहमदनगर	49.45	3.07	13.73
2	अकोला	49.96	5.11	13.03
3	अमरावती	50.30	4.26	20.38
4	बीड	53.57	4.64	15.85
5	भंडारा	37.88	4.89	13.19
6	बुलढाणा	42.59	2.50	14.49
7	चंद्रपुर	51.08	4.07	18.30
8	छत्रपति संभाजीनगर	51.31	3.78	17.68
9	धाराशिव	39.19	3.70	12.51
10	धुले	56.06	6.18	26.00
11	गडचिरोली	54.17	5.44	27.64
12	गोंदिया	49.65	5.21	16.98
13	हिंगोली	53.08	6.26	19.12
14	जलगांव	48.89	3.21	17.20
15	जलना	56.07	3.07	18.70
16	कोल्हापुर	22.20	1.79	6.12
17	लातूर	40.22	2.85	11.37
18	मुंबई शहर	39.73	9.05	15.31
19	मुंबई उपनगर	40.29	8.24	16.36
20	नागपुर	42.54	5.11	13.09
21	नांदेड	49.49	4.18	14.37

22	नंदुरबार	74.49	7.72	45.68
23	नासिक	55.19	3.80	22.05
24	पालघर	67.63	3.06	29.49
25	परभनी	57.80	4.87	16.77
26	पुणे	39.74	2.98	10.81
27	रायगढ़	41.83	2.04	11.81
28	रत्नागिरि	45.96	2.20	13.41
29	सांगली	30.39	3.61	7.82
30	सतारा	42.17	2.32	9.00
31	सिंधुदुर्ग	44.94	3.03	16.16
32	सोलापूर	45.03	3.27	11.35
33	थाइन	47.91	5.50	18.71
34	वर्धा	53.62	2.34	15.29
35	वाशिम	32.26	0.32	2.47
36	यवतमाल	54.76	3.85	16.32

*डेटा पोषण ट्रैकर से अक्टूबर 2024 महीने के लिए है

अनुलग्नक-III

“पोषण मिशन” के संबंध में श्री नारायण तातू राणे और श्री राम शिरोमणि वर्मा द्वारा दिनांक 29.11.2024 को पूछे गए लोक सभा प्रश्न संख्या 813 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

महाराष्ट्र में एनीमिया की जिला-वार व्यापकता (स्रोत: एनएफएस-5, 2019-21) इस प्रकार है:

जिले का नाम	बच्चे (6-59 महीने) जो एनीमिया से पीड़ित हैं	सभी महिलाएं (15-19 वर्ष) जो एनीमिया से पीड़ित हैं	सभी महिलाएं (15-49 वर्ष) जो एनीमिया से पीड़ित हैं
अहमदनगर	64.5	45	50.3
अकोला	77.5	60.3	52.6
अमरावती	74.4	64.8	53.4
औरंगाबाद	64.5	47.4	52.4
भंडारा	72.8	66.1	65.3
बोली	61	48	50.8
बुलढाना	79.4	66.8	57.8
चंद्रपुर	76.6	61.7	55.5
धुले	72.2	59.8	61.2
गडचिरोली	76.6	67.3	66.2
गोंदिया	78	65.2	60.4
हिंगोली	72.5	60.5	51.3
जलगांव	85.2	69.4	65.2
जालना	68.3	54.6	58.2
कोल्हापुर	66.4	42.8	50.1
लातूर	59.5	56.5	50.7
मुंबई	72.8	54.7	45.9
मुंबई उपनगर	65.6	67.2	50
नागपुर	70.5	57.9	53.6
नांदेड़	76.1	63.1	57.3
नंदुरबार	79.3	69.2	64.2
नासिक	67.3	56.2	56.2
उस्मानाबाद	67.4	50.9	49.1
पालघर	70.3	52.1	56.9
परभनी	75.4	60.2	58.8

पुणे	58.7	58.6	51.9
रायगढ़	67	61.1	54.2
रत्नागिरि	69.4	33.7	43.4
सांगली	62.7	42.5	47.5
सतारा	68.9	48.7	49.6
सिंधुदुर्ग	55.6	36	41.2
सोलापुर	70.9	60.2	54.5
थाने	67.9	58.5	58.8
वर्धा	71.4	63.5	60
वाशिम	70.4	53.9	56.4
यवतमाल	75.2	64.1	58.4

अनुलग्नक-IV

“पोषण मिशन” के संबंध में श्री नारायण तातू राणे और श्री राम शिरोमणि वर्मा द्वारा दिनांक 29.11.2024 को पूछे गए लोक सभा प्रश्न संख्या 813 के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

मिशन पोषण 2.0 के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों (वित्त वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24) के दौरान जारी और उपयोग की गई धनराशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	राज्य का नाम	राशि करोड़ रुपये में					
		2021-22		2022-23		2023-24	
		जारी निधि	उपयोग की गई निधि	जारी निधि	उपयोग की गई निधि	जारी निधि	उपयोग की गई निधि
1	अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह	19.71	13.36	3.85	3.88	12.15	उपयोगिता प्रमाणपत्र अभी तक देय नहीं है
2	आंध्र प्रदेश	744.60	749.91	827.79	721.45	705.68	
3	अरुणाचल प्रदेश	170.83	230.77	137.78	145.74	162.06	
4	असम	1319.90	1432.19	1651.63	1717.00	2233.31	
5	बिहार	1574.43	1608.02	1740.09	1586.61	1859.29	
6	चंडीगढ़	15.32	23.09	33.10	34.33	19.79	
7	छत्तीसगढ़	606.73	522.72	668.96	571.80	579.46	
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	9.33	9.56	5.80	5.80	11.97	
9	दिल्ली	133.11	125.52	182.77	142.84	161.81	

10	गोवा	10.84	12.92	14.71	16.83	13.95
11	गुजरात	839.86	757.92	912.64	552.30	1126.80
12	हरयाणा	173.03	146.99	195.25	150.24	225.78
13	हिमाचल प्रदेश	247.99	386.68	270.24	247.76	301.09
14	जम्मू और कश्मीर	405.74	704.57	479.01	416.23	530.88
15	झारखंड	352.98	183.30	430.91	596.03	664.30
16	कर्नाटक	1003.70	984.62	765.87	885.65	912.96
17	केरल	388.23	397.98	444.98	325.43	306.64
18	लद्दाख	14.70	14.67	18.79	18.79	19.62
19	लक्षद्वीप	2.11	2.73	0.44	0.44	2.88
20	मध्य प्रदेश	1085.47	1055.83	1011.57	1038.67	1123.11
21	महाराष्ट्र	1713.39	1609.02	1646.17	1589.97	1699.52
22	मणिपुर	228.92	177.28	135.95	167.74	201.28
23	मेघालय	173.33	177.86	192.39	200.24	269.69
24	मिजोरम	59.32	61.57	42.81	53.02	100.27
25	नगालैंड	159.80	160.21	199.30	190.47	262.91
26	ओडिशा	1065.98	871.20	923.92	884.96	968.80
27	पुदुचेरी	2.78	6.13	0.12	6.68	4.48
28	पंजाब	383.52	177.94	75.31	247.25	307.87
29	राजस्थान	682.65	771.64	974.02	936.17	1091.96
30	सिक्किम	25.73	24.59	20.33	24.09	33.49

31	तमिलनाडु	655.38	681.28	766.81	741.30	880.79
32	तेलंगाना	482.33	479.30	550.69	503.33	507.87
33	त्रिपुरा	186.72	171.66	150.52	186.55	244.22
34	उत्तर प्रदेश।	2407.55	2341.91	2721.87	2622.64	2668.69
35	उत्तराखंड	353.65	336.03	425.84	364.77	288.24
36	पश्चिम बंगाल	668.35	1378.31	1227.59	1455.89	1237.56

अनुलग्नक-V

“पोषण मिशन” के संबंध में श्री नारायण तातू राणे और श्री राम शिरोमणि वर्मा द्वारा दिनांक 29.11.2024 को पूछे गए लोक सभा प्रश्न संख्या 813 के भाग (ड.) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

मिशन पोषण 2.0 के अंतर्गत महाराष्ट्र सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार लाभार्थियों की संख्या इस प्रकार है*:

क्र. सं.	राज्य का नाम	बच्चे (0 - 6 वर्ष)	गर्भवती महिलाएं	स्तनपान कराने वाली माताएं	किशोरियां**	कुल लाभार्थी
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	10,541	681	613		11,835
2	आंध्र प्रदेश	26,78,801	2,23,877	2,07,140	54,320	31,64,138
3	अरुणाचल प्रदेश	82,638	2,293	1,719	15,932	1,02,582
4	असम	28,19,237	1,55,137	81,154	3,81,190	34,36,718
5	बिहार	94,67,358	5,87,049	3,36,600	1,91,919	1,05,82,926
6	छत्तीसगढ़	22,49,221	1,72,092	1,10,436	1,10,948	26,42,697
7	दादरा और नगर हवेली - दमन और दीव	32,883	3,286	2,042		38,211
8	दिल्ली	5,53,581	62,358	57,447		6,73,386
9	गोवा	49,937	3,491	3,766		57,194
10	गुजरात	30,85,214	2,09,939	1,75,508	66,550	35,37,211
11	हरियाणा	17,25,659	1,10,868	90,655	14,579	19,41,761
12	हिमाचल प्रदेश	4,88,519	34,267	32,700	16,740	5,72,226
13	जम्मू एवं कश्मीर	7,40,837	38,036	39,348	22,333	8,40,554
14	झारखंड	28,48,263	1,55,922	90,619	2,64,371	33,59,175

क्र. सं.	राज्य का नाम	बच्चे (0 - 6 वर्ष)	गर्भवती महिलाएं	स्तनपान कराने वाली माताएं	किशोरियां**	कुल लाभार्थी
15	कर्नाटक	37,66,614	3,10,877	2,21,252	65,041	43,63,784
16	केरल	18,79,313	1,09,088	96,811	18,380	21,03,592
17	लद्दाख	16,779	690	821		18,290
18	लक्षद्वीप	3,798	376	424		4,598
19	मध्य प्रदेश	65,70,863	4,32,353	3,16,315	1,52,296	74,71,827
20	महाराष्ट्र	60,25,969	2,86,249	2,53,865	1,09,307	66,75,390
21	मणिपुर	2,71,523	10,763	7,886	45,477	3,35,649
22	मेघालय	3,56,108	7,803	6,544	43,241	4,13,696
23	मिजोरम	1,06,568	5,544	3,490	19,250	1,34,852
24	नागालैंड	1,04,899	1,134	1,224	25,529	1,32,786
25	ओडिशा	34,53,568	2,79,760	1,94,658	2,64,220	41,92,206
26	पुदुचेरी	29,960	2,955	2,928		35,843
27	पंजाब	14,39,334	90,773	86,037	34,048	16,50,192
28	राजस्थान	37,08,079	3,09,196	2,34,130	41,786	42,93,191
29	सिक्किम	30,076	1,298	1,197	8,098	40,669
30	तमिलनाडु	35,86,069	2,62,379	2,28,994	43,943	41,21,385
31	तेलंगाना	17,47,329	98,402	61,646	26,335	19,33,712
32	त्रिपुरा	2,95,265	15,335	8,489	34,786	3,53,875
33	यूटी-चंडीगढ़	36,917	3,182	2,810		42,909

क्र. सं.	राज्य का नाम	बच्चे (0 - 6 वर्ष)	गर्भवती महिलाएं	स्तनपान कराने वाली माताएं	किशोरियां**	कुल लाभार्थी
34	उत्तर प्रदेश	1,96,45,358	15,52,687	10,35,505	2,04,097	2,24,37,647
35	उत्तराखंड	6,53,941	61,387	49,761	72,836	8,37,925
36	पश्चिम बंगाल	77,25,991	5,26,502	3,74,306		86,26,799
	कुल	8,82,87,010	61,28,029	44,18,840	23,47,552	10,11,81,431

* पोषण ट्रैकर से अक्टूबर 2024 तक के आंकड़े उपलब्ध हैं

** किशोरियां केवल आकांक्षी जिलों और पूर्वोत्तर क्षेत्र की हैं

“पोषण मिशन” के संबंध में श्री नारायण तातू राणे और श्री राम शिरोमणि वर्मा द्वारा दिनांक 29.11.2024 को पूछे गए लोकसभा प्रश्न संख्या 813 के भाग (च) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत जीवन चक्र दृष्टिकोण में प्रजनन, मातृ, नवजात, बाल, किशोर स्वास्थ्य और पोषण (आरएमएनसीएच+एन) कार्यनीति क्रियान्वित कर रहा है। इसमें उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में कुपोषण को दूर करने के कार्यकलाप शामिल हैं। शामिल कार्यकलाप नीचे दिए गए हैं:

- **एनीमिया मुक्त भारत (एमबी)** यह कार्यनीति को छह लाभार्थी आयु समूहों - बच्चों (6-59 महीने), बच्चों (5-9 वर्ष), किशोरों (10-19 वर्ष), गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं और जीवन चक्र दृष्टिकोण में प्रजनन आयु समूह (15-49 वर्ष) की महिलाओं में एनीमिया को कम करने के लिए सुदृढ़ संस्थागत तंत्र के माध्यम से छह कार्यकलापों के कार्यान्वयन के माध्यम से कार्यान्वित किया गया है।
- **सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में पोषण पुनर्वास केंद्र (एनआरसी)** स्थापित किए जाते हैं ताकि चिकित्सा जटिलताओं वाले गंभीर तीव्र कुपोषण (एसएएम) पीड़ित 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को इन-पेशेंट चिकित्सा और पोषण संबंधी देखरेख प्रदान की जा सके। उपचारात्मक देखरेख के अलावा, बच्चों के लिए समय पर, पर्याप्त और उचित आहार पर विशेष ध्यान दिया जाता है; माताओं और देखरेख करने वालों के कौशल में सुधार करके पूरी तरह से आयु-अनुकूल देखरेख और आहार संबंधी पद्धति में सुधार किया जाता है।
- **स्तनपान कवरेज में सुधार के लिए माताओं का पूर्ण स्नेह (एमएए)** कार्यक्रम कार्यान्वित किया गया है। इसमें स्तनपान की प्रारंभिक शुरुआत और पहले छह महीनों के लिए केवल स्तनपान कराना शामिल है जिसके बाद आयु-अनुकूल पूरक आहार पद्धति पर परामर्श दिया जाता है।
- **स्तनपान प्रबंधन केंद्र:** व्यापक स्तनपान प्रबंधन केंद्र (सीएलएमसी) में नवजात गहन देखरेख इकाइयों और विशेष नवजात शिशु देखरेख इकाइयों में भर्ती बीमार, समय से पहले जन्मे और अल्प वजन वाले शिशुओं को खिलाने के लिए सुरक्षित, पाश्चुरीकृत डोनर व्यूमन मिल्क की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किए गए हैं। स्तनपान प्रबंधन इकाई (एलएमयू) माताओं को स्तनपान सहायता प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य सुविधा के भीतर स्थापित की जाती है ताकि मां के अपने स्तन के दूध को उसके बच्चे के उपभोग के लिए संग्रहित और वितरित किया जा सके।

- **राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस (एनडीडी)** के तहत सभी बच्चों और किशोरों (1-19 वर्ष) में मृदा संचारित कृमि (एसटीएच) संक्रमण को कम करने के लिए स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से एक ही दिन में दो बार (फरवरी और अगस्त) एल्बेंडाजोल की गोलियां दी जाती हैं।
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से मातृ एवं बाल स्वास्थ्य सेवाओं के प्रावधान और पोषण सहित मातृ एवं बाल देखरेख के बारे में जागरूकता सृजन के लिए **ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण दिवस (वीएचएसएनडी)** मनाए जाते हैं।
